

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) जैसलमेर

(पीठासीन अधिकारी श्री दाताराम आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 32 / 2020

GCMS NO-2020/00004

प्रार्थी

वेद प्रकाश पूर्विया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय बनाम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर।

अप्रार्थीगण

1. श्री शरत भाटिया पुत्र श्री ओमप्रकाश भाटिया उम्र 35 वर्ष जाति भाटिया निवासी राखेचा पाडा, जैसलमेर, जिला जैसलमेर।
2. मैसर्स गणपति स्टोर, ग्रामीण बस स्टेण्ड जैसलमेर जिला जैसलमेर।
3. कोमल ट्रेडर्स जगाणी स्ट्रीट जैसलमेर।
4. पार्थ एण्टरप्राइजेज कृषि उपज मण्डी बाड़मेर।

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 उपधारा (11) खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थित :-

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर।
2. अप्रार्थी सं. 03 व 04 की ओर से अधिवक्ता मुरलीधर जोशी।

:: निर्णय ::

दिनांक: 18.10.2022

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 उपधारा (11) के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 29.10.2018 को 02.00 पीएम पर दौरान निरीक्षणार्थ मैसर्स गणपति स्टोर, ग्रामीण बस स्टेण्ड जैसलमेर पर पहुंचें निरीक्षण के दौरान मौके पर वहां दुकान/संस्थान पर विक्रेता श्री शरत भाटिया पुत्र श्री ओमप्रकाश भाटिया उम्र 35 वर्ष जाति भाटिया निवासी राखेचा पाडा, जैसलमेर कारोबार कर रहा था उसको अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञापत्र मौके पर नहीं होना बताया। प्रार्थी के निरीक्षण में निरीक्षणार्थ दुकान सेवैया (वरमीसैली) रुही ब्राण्ड को खाद्य पदार्थ के रूप में विक्रय कर रहा था, शुद्धता की जांच हेतु विक्रेता एवं मालिक को मौके पर फार्म संख्या 5ए की प्रति नमूना सूचनार्थ तैयार कर गवाहन एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर विक्रेता के हस्ताक्षर करवाके फार्म संख्या 5ए की एक प्रति मौके पर मालिक विक्रेता को दी और प्राप्ति रसीद ली जो संलग्न है। तत्पश्चात सेवैया (वरमीसैली) रुही ब्राण्ड लगभग 500-500 ग्राम की 04 पॉलीपैक नमूने वास्ते लिये जिसके पेटे 160 रुपये नकद देकर गवाहन, विक्रेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है। विक्रेता ने मौके पर उक्त माल खरीद बिल की

18/10/22

प्रमाणित प्रति मौके पर दी जो मैसर्स कोमल ट्रेडर्स जगाणी स्ट्रीट जैसलमेर प्रमाणित बिल द्वारा खरीद होना बताया जिसकी प्रति संलग्न है। प्रार्थी ने खरीद सुदा सेवैया (वरमीसैली) रूही ब्राण्ड के चार नमूनें लिये प्रत्येक को पैक डिब्बों पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाएं एवं लेबलो पर डीओ कोड एवं सीरियल नम्बर एन-888 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये। और जार को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ जैसलमेर की हस्ताक्षर सुधा पेपर स्लिप एन-888 नियमानुसार चारों नमूनों पर नीचे से उपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लीप उपर धागे से बांधकर नियमानुसार चार-चार जगह ब्रास सील से मोहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्य पदार्थ का विवरण एन-888 सेवैया (वरमीसैली) रूही ब्राण्ड लिख कर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों भागो को अपने कब्जे में लिया एवं मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहो को मौके पर पढाकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जो उन्होने पढकर सुनकर समझकर सही मान कर हस्ताक्षर किये एवं मैनें स्वयं ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने कार्यालय पहुचकर फार्म नम्बर 06 की 8 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील इम्प्रेसन लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 06 की आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्यविश्लेषक जोधपुर को हरीश पंवार कनिष्ठ सहायक के द्वारा दिनांक 22.10.2018 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म नम्बर 06 की प्रति अलग से लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्यविश्लेषक जोधपुर को जमा कराकर फार्म संख्या 06 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को दिनांक 19.10.2018 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2018/4552-55 दिनांक 28.03.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्यसुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला राज. जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या L.S./724/Act/2018/740 दिनांक 30.10.2018 अनुसार उक्त नमूना मिथ्याछाप पाया गया। खाद्य विश्लेषक जोधपुर की जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने पत्रावली, कागजात पेश करने के बाद श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर ने पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2018/स्वी./एन-888/3985-87 दिनांक 03.07.2019 के द्वारा आवेदक खाद्यसुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। उक्त केस में विक्रेता श्री शरत भाटिया पुत्र श्री ओमप्रकाश भाटिया उम्र 35 वर्ष जाति भाटिया निवासी राखेचा पाडा, जैसलमेर, जिला जैसलमेर (प्रोपराईटर) 2. मैसर्स गणपति स्टोर ग्रामीण बस स्टेण्ड

18/7/22

जैसलमेर 3. कोमल ट्रेडर्स जगाणी स्ट्रीट जैसलमेर 4.पार्थ एण्टरप्राइजेज कृषि उपज मण्डी बाड़मेर ने मिथ्याछाप सेवैया (वरमीसैली) रूही ब्राण्ड का विक्रय करके खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (11) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित करने की कृपा करें जिससे दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में हो रही मिलावट पर अंकुश लग सकें।

अप्रार्थी सं. 03 व 04 की ओर से निम्न जवाब पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा सेवैया (वरमीसैली) रूही ब्राण्ड का सेम्पल लिया गया जो मेरे द्वारा मैसर्स कोमल ट्रेडर्स जगाणी स्ट्रीट जैसलमेर से खरीदा गया था मेरे द्वारा सेवैया (वरमीसैली) रूही ब्राण्ड पैकिंग अवस्था में लिया गया उसी अवस्था में दुकान में रखा गया था। अतः जवाब प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करते हुये उक्त प्रकरण का आज ही निस्तारण करने का निवेदन किया गया है।


अप्रार्थी सं. 01 व 02 की ओर से न्यायहित में कई अवसर देने के उपरांत भी कोई जवाब नहीं दिया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं बहस के तथ्यों का अवलोकन व अनुशीलन किया गया, व दोनो पक्षो की बहस सुनने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि खाद्यसुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं L.S./724/Act/2018/740 दिनांक 30.10.2018 के अनुसार सेवैया (वरमीसैली) रूही ब्राण्ड खाद्य पदार्थ का उक्त नमूना मिथ्याछाप पाया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब के समर्थन मे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है। जिससे अप्रार्थीगण पर मिथ्याछाप स्तर के सेवैया (वरमीसैली) रूही ब्राण्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय करने के लिए दोष साबित है। अप्रार्थीगण द्वारा खाद्यसुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना खाद्यसुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, एवं अप्रार्थी शरत भाटिया पुत्र श्री ओमप्रकाश भाटिया उम्र 35 वर्ष जाति भाटिया निवासी राखेचा पाडा, जैसलमेर, जिला जैसलमेर, अप्रार्थी सं. 02 मैसर्स गणपति स्टोर, ग्रामीण बस स्टेण्ड जैसलमेर जिला जैसलमेर, अप्रार्थी सं. 03 कोमल ट्रेडर्स जगाणी स्ट्रीट जैसलमेर व अप्रार्थी सं. 03 पार्थ एण्टरप्राइजेज कृषि उपज मण्डी बाड़मेर फर्म के प्रोपराईटर पर मिथ्याछाप स्तर का सेवैया (वरमीसैली) रूही ब्राण्ड खाद्य पदार्थ विक्रय के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी सं. 01 पर 10,000/- अक्षरे दस हजार रूपये अप्रार्थी सं. 02 पर 10,000/- अक्षरे दस हजार रूपये, अप्रार्थी सं. 03 पर 10,000/- अक्षरे दस हजार रूपये व अप्रार्थी सं. 04 पर 10,000/- अक्षरे दस हजार रूपये कुल 40,000/- अक्षरे चालीस हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है,

18/11/22

साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थीगण एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


(दाताराम) 18/10/22

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जैसलमेर